

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Election of 15 Members from Lok Sabha and 07 Members from Rajya Sabha to Committee on Public Undertakings.

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH (AURANGABAD): Respected Speaker, Sir, I beg to move the following:

“That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 312B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term beginning on the 1st May, 2022 and ending on the 30th April, 2023.”

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH : Respected Speaker, Sir, I beg to move the following:

“That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the House for the term beginning on the 1st May, 2022 and ending on the 30th April, 2023 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha.”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।